

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

AIF फसल कटाई के बाद और खेती के ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज सुविधा है।

क्या मिल सकता है

1 लाख करोड़ रुपये की वित्त सुविधा। प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर सालाना 3% ब्याज छूट। 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर क्रेडिट गारंटी मिल सकती है।

किसके लिए है

किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और राज्य एजेंसियां।

मुख्य शर्तें

- कर्ज भाग लेने वाले बैंकों और ऋणदाताओं से मिलता है।
- परियोजना फंड के तहत पात्र होनी चाहिए।

दस्तावेज़

- बैंक का भरा और हस्ताक्षरित ऋण आवेदन।
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस) और फोटो।
- पते का प्रमाण।
- कंपनी, फर्म या MSME हो तो पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- ज़मीन के मालिकाना या पट्टे के कागज़।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।
- आधिकारिक चेकलिस्ट पेज की बाकी चीज़ें।

आवेदन कैसे करें

- AIF पोर्टल पर लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करें।
- पोर्टल के मॉडल DPR टेम्पलेट से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाएँ।
- आधिकारिक चेकलिस्ट पेज के कागज़ जमा करें।
- पोर्टल और ऋण देने वाले बैंक के ज़रिए ऋण आवेदन जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://agriinfra.dac.gov.in/>

आधिकारिक आवेदन: <https://agriinfra.dac.gov.in/Home/BeneficiaryRegistration>

आधिकारिक PDF: <https://agriinfra.dac.gov.in/Content/DocAttachment/FINALSchemeGuidelinesAIF.pdf>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/central/agriculture-infrastructure-fund/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जाँचें।